"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 438] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2017—— आश्विन 15, शक 1939

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अक्टूबर 2017

क्रमांक-15/चार/2014-17/1552. — भारत निर्वाचन अयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना क्र. 429/छ.ग./2015 (1) दिनांक 25 सितम्बर 2017 के द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है.

हस्ता./-

(सुब्रत साहू)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2017—— 3 आश्विन, 1939 (शक)

अधिसूचना

क्र. 429/छ.ग./2015 (1) . — लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) की धारा 13ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग यह निदेश देता है कि तारीख 21 अगस्त, 2015 की समय समय पर यथा संशोधित उसकी अधिसूचना संख्या 429/छ.ग./2015 (1) में निम्नलिखित संशोधन और किए जाएंगे, अर्थात् ;

उक्त अधिसूचना के संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में मद सं. 44-कसडोल एवं 64-दुर्ग के सामने विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी.

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की क्रम संख्या व नाम (1)	निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (2)
44-कसडोल	अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कसडोल
64-दुर्ग	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), दुर्ग/संयुक्त कलेक्टर दुर्ग/डिप्टी कलेक्टर दुर्ग

आदेश से,

हस्ता./-
(के. एन. भार)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 28th September, 2017——6 Asvina, 1939 (Saka)

NOTIFICATION

No. 429/CGH/2015(1). — In exercise of the powers conferred sub-section (1) of Section 13B of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission hereby directs that following amendment also shall be made in its Notification No. 429/CGH/2015(1) dated 21st August 2015 as amended time to time.

In column 2 of the Table appended to the said notification, the existing entries against items No. 44-Kasdol and 64-Durg, the following entries shall be substituted.

Number and Name of Assembly Constituency (1)	Electoral Registration Officer (2)
44-Kasdol	Sub Division Officer (Revenue), Kasdol
64-Durg	Sub Divisional Officer (Revenue) Durg/ Joint Collector Durg/Deputy Collector Durg

By order,

Sd/-
(K. N. Bhar)
Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.